प्रकरण संख्या 52/2018 हीरसिंह बनाम मोहन कुंवर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वाडा, तहसील मावली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित आराजी नंबर 3 से 12 कुल किता 10 रकबा 124 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम 1/4 हिस्से अनुसार अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' में अंकित आराजी नंबर 42, 61 से 63 किता 4 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त खातेदारी में अंकित है। परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 92 से 103, 460, 1108 से 1111, 1113 से 1120, 1156, 1160, 1161, 5631/447 कुल किता 81 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम 1/2 हिस्से से अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''द'' की आराजी नंबर 1112 रकबा 5 बिस्वा आ.चा. स्थित है, जो गुमानसिंह पिता तख्तसिंह के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है। चूंकि मूलतः विवाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज भूमि के संबंध में इसलिए अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 8 अनुसार होकर मूल पुरूष गुमानसिंह जी थे, वादिया गुमानसिंह की पुत्री है तथा उदयसिंह व उंकारसिंह गुमानसिंह के पुत्र थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उदयसिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा उंकारसिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 8 हैं। इस प्रकार पैत्रृक भूमियों के गुमानसिंह के पुत्र उदयसिंह, उंकारसिंह तथा वादिया प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु विरासत केवल उदयसिंह व उंकारसिंह के नाम ही खुला जो वादिया के मुकाबले गलत व बेबुनियाद है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज भूमियों में वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30.01.2018 से वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दि[illegible]05.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को [illegible] जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested

के.एल. सिंघवी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है, जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पत्रावली 08.11.2016 को अपीलान्ट के जवाब हेतु नियत थी, किन्तु अपीलान्ट व्यवसायिक कार्यो में व्यस्त होने से उपस्थित नहीं हो सका तथा अपीलान्ट को अपने विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का ज्ञान दिनांक 16.01.2017 को होने पर तुरन्त द्विपक्षीय कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो अपीलान्ट के हक अधिकारी के विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। वादिया का जन्म 1956 से पूर्व हुआ है उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में नहीं था इसलिए वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 किसी प्रकार की घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है न ही उसका कब्जा है। वादिया अपनी ससुराल ग्राम डाकनकोटडा में निवास करती है और वह अपने पति की सम्पत्ति अर्जित कर चुकी है इसलिए वादग्रस्त सम्पत्ति में मिताक्षरा विधि से वादिया किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया, जिससे वह अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2022 0 SUPREME (RAJ) 870, 2016 0 SUPREME (Chh) 416, 2012 0 SUPREME (RAJ) 766, 1975 0 SUPREME (MP) 520, 1963 0 SUPREME (SC) 296, 2014 0 SUPREME (RAJ) 1342, 2011 0 SUPREME (RAJ) 413, 2011 0 SUPREME (RAJ) 1282, 2012 0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 10:53:30 IST
Reason: SelfAttested

SUPREME (RAJ) 797, 2007 1 WLC 157, 2003 0 SUPREME (RAJ) 724, 2004 0 SUPREME (RAJ) 4, 2014 0 SUPREME (RAJ) 1835, 2010 0 SUPREME (RAJ) 1536, 2008 0 SUPREME (RAJ) 575, 2009 0 SUPREME (RAJ) 164 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों पुनः दोहराते हुए बताया कि वादिया के पिता गुमानसिंह की मृत्यु के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में था, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया की पैत्रृक भूमि मानते हुए उसे विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात गुमानसिंह के खातेदारी की होने तथा वादिया गुमानसिंह की पुत्री होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है, किन्तु जहां तक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादिया विवादित आराजियात में हक हिस्सा रखती है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट अथवा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण अर्थात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वे विवादित आराजियात के सहखातेदार दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ वादिया के कथनों के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज सहखातेदार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बिना सुने वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है, जो विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के दृष्टिगत प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 030.01.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह [illegible])
प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर